१०रु कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

५रु कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(34)

मानानीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष

रिव्यू-1761-II-14

१- रतनसिंह पिता बुद्धाजी
उम्र ५६ साल, धन्धा खेती,
निवासी सिरपुर, तहसील व जिला इंदौर

२- मुन्नीबाई पति नगजी
उम्र ४८ वर्ष, धन्धा मजदूरी
निवासी सिरपुर कांकड़, सिरपुर
तहसील व जिला इन्दौर

३- मानसिंह पिता रामप्रसाद
उम्र ४५ साल, धन्धा खेती
निवासी सिरपुर, कांकड़, सिरपुर, तहसील
व जिला इन्दौर -- प्रार्थीगण

श्री आर.पी. शर्मा, अभि० 11-6-14 को
11-6-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(Y. P. Sharma Adv.
11-6-2014)

वि रु द्ध

१- पटवारी, ग्राम सिरपुर,
तहसील व जिला इन्दौर

२- तहसीलदार, तहसील इन्दौर
जिला इन्दौर

३- रुपाली पति लालु नागर
उम्र वयस्क, धन्धा मालूम नहीं
निवासी अहिरखेडी, तहसील व जिला
इन्दौर -- प्रतिप्रार्थीगण

रतनसिंह
मुन्नीबाई
मानसिंह

पुर्नविलोकन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता

विव्दान सदस्य महोदय, माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र०, ग्वालियर (पीठासीन माननीय एम०के० सिंह) के व्दारा निगरानी प्रकरण क्रमांक ५०७/१/११ में पारित आदेश दिनांक १५/०६/२०११ से असन्तुष्ट हो यह पुर्नविलोकन प्रार्थनापत्र सादर प्रस्तुत है -

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1761–दो/2014 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–8–17	आवेदक की ओर से श्री ओ0पी0शर्मा अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें रिव्यु की ग्राह्यता पर सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 587–एक/2011 में पारित आदेश दिनांक 15–6–2011 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रिव्यु आवेदन पर विचार किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हो । अध्यक्ष	